भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-146

उत्तर देने की तारीख-31/07/2023

सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आधार कार्ड

†*146. डॉ. शशि थरूर:

श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य ने सरकारी विद्यालयों में दाखिले के लिए बच्चों के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है जो बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का उल्लंघन है जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता पर कड़ाई से रोक लगाई गई है (निर्णय धारा 322);

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को विद्यालयों में प्रवेश या किसी कल्याणकारी कार्यक्रम का लाभ लिए जाने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर जोर न देने के लिए कोई सलाह/चेतावनी जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा अंतराज्यीय और राज्य के भीतर प्रवासी परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ड.) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितने बच्चों को सम्मिलित किया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ड.): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आधार कार्ड के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. शशि थरूर और श्री सय्यद ईमत्याज जलील द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 146 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के दायरे में आते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र दिनांक **05.09.2018** के अनुसार, आधार के अभाव में बच्चों को उनके उचित लाभों या अधिकारों से वंचित/अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आधार के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश एवं अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने दिनांक 29.11.2021 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई बच्चा प्रमाणीकरण करवाने या आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है तो किसी भी पात्र बच्चे को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा या जिसे कोई आधार संख्या जारी नहीं की गई है, उसे नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को प्रमाणित करके लाभ प्रदान किया जाएगा।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार- जो कि उपयुक्त सरकार हैं, को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि बच्चों की गुणवत्ता और समता के साथ शिक्षा तक पहुंच हो और देश में स्कूली शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2021 के दिशानिर्देशों को सभी राज्यों के साथ साझा किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 6-18 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता सृजन, स्कूल बंद होने के दौरान छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सतत शिक्षा, स्कूल को पुनः खोलने पर छात्र सहायता और शिक्षक क्षमता निर्माण शामिल है।

विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (पीएम पोषण) के तहत विभाग द्वारा बालवाटिका सहित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में छात्रों को गर्म पका हुआ एक भोजन प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष के आयु वर्ग के प्रवासी बच्चों सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने हेतु, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2000 रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए प्रवासी बच्चों और समग्र शिक्षा के प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनकी मैपिंग सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) का आंकड़ा संकलित करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पहचान किए गए प्रवासी बच्चों की जानकारी इस प्रकार है:

पहचान किए गए प्रवासी बच्चे

क्र .सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	29975	7500	17907
2	असम	17200	16202	15452
3	बिहार	3174	53938	-
4	छत्तीसगढ़	200	5653	-
5	गुजरात	37800	32000	36675
6	जम्मू और कश्मीर	33504	37880	39181
7	झारखंड	1530	2408	-
8	कर्नाटक	3387	4109	-
9	लद्दाख	143	28	-
10	मध्य प्रदेश	7045	4997	5615
11	महाराष्ट्र	70294	56612	28097
12	ओडिशा	9480	4795	8778
13	राजस्थान	1000	1000	1000
14	तमिलनाडु	1999	1814	-
15	तेलंगाना	6895	4870	6454
16	त्रिपुरा	5055	5482	5434
17	उत्तराखंड	1264	1000	1000
18	पश्चिम बंगाल	374	-	-
	कुल योग	**230319**	**240288**	**165593**

स्रोत: एडब्ल्यूपी एंड बी,

(-) राज्य द्वारा अपने एडब्ल्यूपी एंड बी में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

*****